न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3414–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–9–2011 पारित द्वारा तहसीलदार चुरहट जिला सीधी प्रकरण कमांक 45/अ–5/2011–12.

1. श्रीमती राधा पाण्डे पत्नी स्व0 राजेश्वरी प्रसाद पाण्डे
2. नमो तनय स्व0 राजेश्वरी प्रसाद पाण्डे
3. शिवेन्द्र तनय स्व0 राजेश्वरी प्रसाद पाण्डे
   सभी निवासीगण ग्राम तिवरियागवां (बूसी)
   तहसील चुरहट जिला सीधी म0प्र0

–––––आवेदकगण

विरूद्ध

1. नरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय तनय श्री ठाकुर प्रसाद पाण्डे
   निवासीगण ग्राम बूसी तहसील चुरहट
   जिला सीधी म0प्र0
2. म0प्र0 शासन द्वारा जिलाध्यक्ष सीधी

–––––अनावेदकगण

– – – – – –

श्री एस0पी0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री विजय कुमार द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक कं 1

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 26 फरवरी 2015)

– – – – –

आवेदकों द्वारा यह निगरानी तहसीलदार चुरहट जिला सीधी प्रकरण कमांक 45/अ–5/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 19–9–2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 नरेन्द्र प्रसाद पाण्डे द्वारा दिनांक 1—1—2011 को तहसीलदार चुरहट के समक्ष संहिता की अधारा 73 एवं 110 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम भेलकी 822 की आजारी नम्बर 486/2 रकवा 0.43 है0 एवं 501/2 रकवा 0.80 कुल किता दो रकवा 1.23 है0 भूमि के बटांक कायम कर नक्शा तरमीम किये जाने बावत आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 19—9—11 से राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत नक्शा तरमीम की पुष्टि की गई। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि भूमि सर्वे कमांक 501 एवं 486 के उपखण्ड के भूमिस्वामी आवेदकगण है और राजस्व अभिलेखों में आवेदकों का नाम दर्ज था। पूर्व में तहसीलदार के समक्ष भूमि सर्वे कमांक 501, 480 एवं 486 के खाता विभाजन का प्रकरण कमांक 58/अ—27/06—07 चला था जिसमें आदेश पारित किया, परन्तु उक्त आदेश के अपील में लंबित रहने के बावजूद भी आवेदकगण को बिना पक्षकार बनाये नक्शा तरमीम कराया गया है जो गलत है। उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 73 एवं धारा 70 के नियम का पालन किये बिना की गई संपूर्ण कार्यवाही अधिकारी विहीन है। आवेदक अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि आवेदकगण सर्वे कमांक 501 एवं 486 के भूमिस्वामी है। उनके उपखंड 486/1 व 501/1 के नक्शा तरमीम के पूर्व उन्हें सूचना देना चाहिए थी एवं उनकी उपस्थिति में नक्शा तरमीम की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। चूंकि आवेदकगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई और न ही उसे प्रकरण में पक्षकार बनाया गया था इसलिए जानकारी के दिनांक से आवेदकगण द्वारा निगरानी समय—सीमा में पेश की गई है।

4/ अनावेदक कं 1 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि यह निगरानी तहसीलदार के आदेश दिनांक 19—7—11 के विरूद्ध इस न्यायालय में लगभग एक वर्ष वाद 29—9—12 को समयावधि बाह्य प्रस्तुत की गई है और आवेदकगण द्वारा विलम्ब का कोई कारण नहीं दर्शाया है। आवेदकगण द्वारा निगरानी के साथ धारा 5 का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण वह अवधि के बिन्दु पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त आवेदकगण को नक्शा तरमीम की कार्यवाही के दौरान भी जानकारी थी एवं उसके आदेश की भी जानकारी थी। अनावेदक अभिभाषक का तर्क है कि नक्शा तरमीम की कार्यवाही विधिवत की गई है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यक नहीं है।

आवेदक अभिभाषक ने प्रतिउत्तर में तर्क किया किएक बार तर्क होने के पश्चात निगरानी ग्राह्य की गई थी, अब अंतिम स्तर पर पुनः समय—सीमा के बिन्दु को नहीं उठाया जा सकता है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि यद्यपि निगरानी सुनवाई के लिए पूर्व में ग्राह्य की गई है, फिर भी अनावेदक द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार करना उचित है क्योंकि प्रकरण को एकपक्षीय ग्राह्य किया गया था तथा आवेदन पत्र में विलम्ब अवधि का उल्लेख नहीं होने से ग्राह्यता के समय अवधि विलम्ब के बिन्दु पर तर्क नहीं किया गया। आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश 19—9—2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी एक वर्ष बाद 27—9—12 को पेश की है। आवेदक द्वारा विलम्ब के संबंध में प्रकरण में संलग्न समयावधि विधान की धारा 5 के आवेदन एवं शपथ पत्र नोटरी द्वारा दिनांक 28—9—12 को सत्यापित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त धारा 5 का आवेदन एवं शपथ

पत्र निगरानी के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था बल्कि निगरानी प्रस्तुत किये जाने के बाद प्रकरण में संलग्न किया गया है। उक्त स्थिति में अनावेदक अभिभाषक द्वारा उठाई गई आपत्ति उचित प्रतीत होती है। निगरानी के साथ आवेदक द्वारा सरहदी कृषक होने का प्रमाण स्वरूप खसरे अथवा खतौनी की सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह प्रमाणित हो सके आवेदक प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 486 एवं 501 के बटांक भूमि का भूमिस्वामी है और सीमांकन की कार्यवाही में हितबद्ध पक्षकार है। इसके अतिरिक्त आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में तहसीलदार के समक्ष पूर्व में सर्वे कमांक 501, 480 एवं 486 के खाता विभाजन का प्रकरण कमांक 58/अ—27/2006—07 में तहसीलदार द्वारा किए गए आदेश तथा उक्त आदेश की अपील लंबित रहते तहसीलदार द्वारा नक्शा तरमीम का विचाराधीन आदेश करने का उल्लेख किया परन्तु, इस बावत कोई प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। उक्त दर्शित परिस्थतियों में अनावेदक द्वारा इस प्रकरण में प्रचलनशीलता के बिन्दु पर उठाई गई आपत्ति उचित प्रतीत होती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने, आवेदक के हितबद्ध पक्षकार के रूप में कोई प्रमाण प्रस्तुत न करने के कारण प्रचलनशील के बिन्दु पर अनावदेक द्वारा उठाई गई आपत्ति स्वीकार करते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर